छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 793/2008

1. श्री अरविन्द अवस्थी, – *अपीलार्थी*
पत्रकार, ए–12, आम्रपाली सोसायटी,
धमतरी रोड़, पचपेडी नाका, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय छ0ग0 पर्यटन मण्डल,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 15 जनवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री अरविन्द अवस्थी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय छ0ग0 पर्यटन मण्डल, रायपुर के समक्ष दिनांक 22.04.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 21.05.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील का भी निराकरण समयावधि में नहीं होने एवं जानकारी प्रदाय नहीं के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 17.07.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और अंतिम सुनवाई के दिवस अपीलार्थी अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की गई तथा प्रति अपीलार्थी के तर्कों का श्रवण किया गया । प्रकरण में जानकारी देने में हुए विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 07.01.2009 को प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत उत्तर में संबंधित शाखाओं से जानकारी नहीं आने और नस्ती अंकेक्षण में होने का कारण बताया गया है, जो संतोषप्रद प्रतीत होता है । प्रकरण में चूंकि जानकारी छिपाने के पीछे कोई दुर्भावना नहीं थी और दिनांक 30.12.2008 एवं 02.01.2009 को उपलब्ध जानकारी आवेदक को भेज दी गई थी, अतः जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । प्रकरण में अधिकांश जानकारी दी जा चुकी है, केवल बिन्दु क्रमांक–1 (डी)(ई)(एफ) की जानकारी अभी–तक शाखाओं से प्राप्त नहीं होने के कारण नहीं दी गई है, उसके संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि अब यह जानकारी 15 दिवस के अन्दर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय कर दिया जावे । साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत मण्डल की ओर से राशि 250/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान किया जावे ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com